राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

रंगी लाल बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।

एकलपीठ सिविल याचिका संख्या-4208/1999

अन्तर्गत अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक:- **नवम्बर 29, 2006**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री गिरधारी सिंह बाफना, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री एम.एल. गोयल, अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

न्यायालय द्वारा-

(1) इस रिट याचिका में प्रार्थी ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक- 3.8.1999 (प्रदर्श-25) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में आदेश दिनांक- 12.6.1996 से 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिज सेण्ड स्टोन व उससे बनने वाली खण्डा के जारी किए गये खनन पट्टे ,को निरस्त कर दिया गया है।

(2) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(3) निर्विवाद रूप से संशोधित आदेश दिनांक- 12.6.1996 से प्रार्थी के पक्ष में 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिज सेण्ड स्टोन व उससे बनने वाली खण्डा का खनिज पट्टा जारी किया गया था, किन्तु उक्त पट्टा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पट्टे की संविदा का निष्पादन तीन माह की अवधि में नहीं करवाया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिपक्षीगण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया इस कारण संविदा का निष्पादन नहीं कराया जा सका। विद्वान प्रार्थी का उक्त स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है। वैसे भी खनन पट्टे को रि-वॉक करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर

दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। अत: आक्षेपित आदेश दिनांक-3.8.1999 (प्रदर्श-25) निरस्तनीय है।

(4) परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिपक्षीगण द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक- 3.8.1999 (प्रदर्श-25) निरस्त किया जाता है तथा प्रतिपक्षीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश दिनांक- 12.6.1996 की अनुपालना में खनिज सेण्ड स्टोन व उससे बनने वाली खण्डा के खनन के पट्टे का नवीनीकरण नियमानुसार करेगें। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस